

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/खण्ड पीठ/ /2021.लखनऊ:दि0::अप्रैल, 16 ,2021
--: संशोधित आदेश ::-

मुख्यालय के आदेशांक-703/2021 दिनांक 26.03.2021 एवं आदेशांक-704/2021 दिनांक 26.03.2021 द्वारा पूर्व में माह-अप्रैल हेतु परिचालित युगल पीठ कार्यक्रम दिनांक 19.03.2021 में कतिपय संशोधन जारी किए गए थे।

सदस्य पीठ-3 कानपुर ने अपने पत्र संख्या-124 दिनांक 16.04.2021 द्वारा दिनांक 19.04.2021 से दिनांक 03.05.2021 तक कुल 15 दिन का उपार्जित अवकाश अपनी अस्वस्थता के कारण आवेदित किया गया है तथा उक्त अवधि में लगायी गयी युगल पीठ से मुक्त रहने की प्रार्थना की गयी है।

उपरोक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्गत युगल पीठ कार्यक्रम निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है तथा कार्यक्रम में शेष दर्शायी गयी स्थिति यथावत् रहेगी।

क्रम सं०	बैठने का स्थान	कार्य-आवंटन	कार्य-अवधि	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य
1	2	3	4	5
1.	पीठ-1 कानपुर	पीठ-1,2,3 व 4 कानपुर	26.04.2021 से 30.04.2021	पीठ-1 कानपुर पीठ-2 कानपुर न्यायिक विभागीय
2.	पीठ-1 नोएडा	पीठ-1 व 2 नोएडा	19.04.2021 से 24.04.2021	पीठ-1 नोएडा पीठ-2 नोएडा न्यायिक विभागीय

ह0/16.04.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/ दो-1(32)/खण्ड पीठ/ 797/2021.तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1/2/3/4 कानपुर, पीठ-1 व 2 नोएडा।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/ सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

